रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 2008/पौष 19, 1929
No. 14] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 2008/PAUSA 19, 1929

खान मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2008

सं. 11(39)/2007-खान-I.—सरकार एतद्द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) के कार्य की गहनता से पुनरीक्षा करने तथा संगठन की प्रौद्योगिकी तथा जनशक्ति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उद्भूत हो रही चुनौतियों का मुकाबला करने की इसकी क्षमता का आकलन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करती है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी :-

(i)	अपर सचिव, खान मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii)	डॉ. पी.एन. राज़दान, डी डी जी, जी एस आई, एन आर,लखनऊ	सदस्य
(iii)	डॉ. बलराम चट्टोपाध्याय, डी डी जी, जी एस आई, कोलकाता	सदस्य
(iv)	डॉ. रसिक रविन्द्र, निदेशक, अंटार्टिका तथा महासागर अनुसंधान राष्ट्रीय केन्द्र, गोवा	सदस्य
(v)	डॉ. मालती गोयल, वैज्ञानिक 'जी',विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
(vi)	प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय (संयुक्त सचिव से नीचे नहीं)	सदस्य
(vii)	प्रतिनिधि, योजना आयोग (संयुक्त सचिव से नीचे नहीं)	सदस्य
(viii)	श्री आर.के. शर्मा, महासचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (फिमी)	सदस्य
(ix)	डॉ. प्रीतम सिंह, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव	सदस्य
(x)	डॉ. एम. गोविन्द राव, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन आई पी एफ पी)	सदस्य
(xi)	श्री सुरेश किशनानी, निदेशक, खान मंत्रालय	सदस्य सचिव

2. उच्चाधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

I. जी एस आई के मौजूदा कार्यकलाप के क्षेत्रों की तुलना में घरेलू तथा वैश्विक दोनों की उदभूत होने वाली चुनौतियों की पहचान तथा आकलन करना और जी एस आई के कार्यकलापों में उपयुक्त परिवर्तन सुझाना।

II. जी एस आई के विभिन्न कार्यकलापों की पारस्परिक प्राथमिकता की सिफारिश करना तथा इसके कार्यकलापों में वृहत्तर फ़ोकस करने के उपाय सुझाना।

III. राष्ट्रीय खनिज नीति के संदर्भ में जी एस आई की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना।

IV. निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निकायों की तुलना में खनिज गवेषण कार्यकलापों में जी एस आई की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना।

V. जमीनी, समुद्री तथा हवाई सर्वेक्षणों के माध्यम से डाटा के संग्रहण, सृजन तथा उपयोग के संबंध में प्रौद्योगिकी तथा जनशक्ति संसाधनों और संगठनात्मक ढांचे तथा प्रयोगशाला स्थापनाओं की जांच करना और जहां कहीं अपेक्षित हो इनमें सुधार करने के उपायों को सुझाना।

VI. भारत में तथा इसके बाहर दूसरे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठनों द्वारा अपनाई गई मेनडेट,संरचना, प्रक्रियाओं तथा प्रणालियों की जांच करना और यह सुझाव देना कि उन्हें जी एस आई में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है।

VII. जी एस आई की प्रशासनिक संरचना की (क) कारगर नियंत्रण तथा निर्णय लेने की प्रक्रियायें तथा (ख) चुस्त वित्तीय प्रबंधन तथा नियंत्रण प्रणालियां सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षा करना।

VIII. संगठन की उदभूत होने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधनों की प्रशिक्षण जरूरतों, जीवनवृत्ति उन्नयन तथा मौजूदा प्रवेश तंत्र की जांच करना और उसमें उपयुक्त परिवर्तन सुझाना।

3. समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट 6 माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

वी. के. ठकराल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

RESOLUTION

New Delhi, the 7th January, 2008

No. 11(39)/2007-M.I.—The Government hereby constitutes a High Powered Committee to thoroughly review the functioning of the Geological Survey of India (GSI), and assess its capacity to meet the emerging challenges taking into account the organisation's technological and manpower resources. The High Powered Committee will have the following composition:

(i)	Additional Secretary, Ministry of Mines.	- Chairman
(ii)	Dr. P.N. Razdan, DDG, GSI, NR, Lucknow.	- Member
(iii)	Dr. Balaram Chattopadhyay, DDG, GSI, Kolkata	- Member
(iv)	Dr. Rasik Ravindra, Director, National Centre for Antarctic & Ocean Research, Goa.	- Member
(v)	Dr. Malti Goel, Scientist 'G', Department of Science & Technology.	- Member
(vi)	Representative of the Ministry of Finance (Not below the rank of Joint Secretary)	- Member
(vii)	Representative of the Planning Commission (Not below the rank of Joint Secretary)	- Member
(viii)	Shri R.K. Sharma, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)	- Member
(ix)	Dr. Pritam Singh, Professor of Emeritus, Management Development Institute, Gurgaon	- Member
(x)	Dr. M. Govind Rao, Director, National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP).	- Member
(xi)	Shri Suresh Kishnani, Director, Ministry of Mines.	- Member-Secretary

2. The terms of reference of the High Powered Committee will be as follows:

I. To identify and assess the emerging challenges – both domestic and global - vis-à-vis the existing activity domains of GSI, and suggest suitable changes in the activities of GSI.

II. To recommend *inter-se* prioritization of various activities of GSI, and suggest measures to bring about greater focus in its activities.

III. To redefine the role of GSI in the context of the National Mineral Policy.

IV. To redefine the role of GSI in mineral exploration activities vis-à-vis the private sector as well as public bodies.

V. To examine the technological and manpower resources and organisational structure in respect of collection, generation and utilization of data through ground, marine and airborne surveys and laboratory set-ups, and recommend measures for improvement where required.

VI. To examine the mandate, structure, processes and systems adopted by other geological survey organizations within and outside India, and suggest to what extent they can be applied in GSI.

VII. To review the administrative structure of GSI with a view to ensuring (a) effective control and decision-making processes and (b) efficient financial management and control systems.

VIII. To examine and suggest suitable changes in the existing mechanism of induction, career progression and training needs of human resources commensurate with the emerging requirements of the organization.

3. The Committee will submit its final report within a period of six months.

V. K. THAKRAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.